रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 23 जून, 1984/2 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, ज़िला लाहौल-स्पीति

शुद्धि पत्र

केलांग, 5 जून, 1984

संख्या एल० एस० पी०-पंच-56/78-958-968.—इस कार्यालय के अधिसूचना संख्या एल० एस० पी०-पंच-56/78-782-827, दिनांक 5-4-84 की सारणी में से क्रम संख्या 10 व 11 मे क्रमशः ग्राम सभा वारपा व तांदी को निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन ग्राम सभाओं का पुन विभाजन/पुनर्गठन का मामला सरकार के पास विचाराधीन है ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
ज़िला लाहौल-स्पीति ।

1276-राजपत्र/84—23-6-84—1,120.

मूल्य : 20 पैसे ।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 14 जून, 1984

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए० (5)-80/77.—क्योंकि श्री जगदीश चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत चूहन, जिला चम्बा के विरुद्ध इस विभाग के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 2-11-1983 द्वारा आठ आरोपों पर उप-सम्भागीय अधिकारी (नागरिक), डलहौज़ी को जांच करने के आदेश हुए थे :

और क्योंकि जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि श्री जगदीश चन्द को भविष्य में सावधानी बरतने के आदेश देकर इस मामले की बन्द किया जाए।

अतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत श्री जगदीश चन्द के विरुद्ध चले मामले को उसको भविष्य में सावधान रहने का आदेश देकर समाप्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव।

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Shimla-3, *the* 21*st May*, 1984

No. 7-52/83-EXN. Vol. III-9377.—In this Department notification No. 7-52/83-EXN-Vol. II-6021 dated the 30th March, 1984 published in the H. P. Rajpatra (Extra-ordinary) dated the 31st March, 1984, in the amended rule "1" *for* the words "L-5" finding place in the first line of the said rule printed at page-567 of the Rajpatra, the words "L-9" may be *read.*

Sd/-
Excise and Taxation Commissioner.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित।

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार 25 जून, 1984/4 आषाढ़, 1906

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 21 जून, 1984

संख्या स्थ.-स्व-शा-ख (15)-8/83.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि नगर निगम शिमला के कार्यरत कर्मचारियों के निम्नलिखित वर्गों को ग्रहण करना समीचीन और आवश्यक है, अर्थात् :—

1. कार्यपालक इंजीनियर
2. सहायक इंजीनियर
3. कनिष्ठ इंजीनियर
4. बाजार अधीक्षक

1290-राजपत्र/84-25-6-84—1,100.

मूल्य : 20 पैसे ।